APP-A
crim-I

FORM No. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

आज अदालत - राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर मुकाम - सवाई माधोपुर

सत्यनारायण बनाम [illegible] राठौड़

किस्म मुकदमा 225 RTA मुकदमा नं. 26/2023

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13/02/23	पत्रावली/अपील राजस्थान का० अधि० 225 के अन्तर्गत एडवोकेट श्री विनोद अग्रवाल ने पेश की। दर्ज रजिस्टर हो। व शंकर लाल [illegible] द्वारा कैम्प कोर्ट गंगापुर सिटी में पेश की गई। पत्रावली बाद जांच रिपोर्ट 13/02/23 को पेश हुई। नकल कैवियटर को दिलवाई गई। बहस बाबत अन्तरिम कार्यवाही निषेधाज्ञा हेतु समय चाहते है। पत्रावली 14/02/23 को पेश हो।	[illegible] 13/2/23
14/02/23	पत्रावली वास्ते अन्तरिम कार्यवाही निषेधाज्ञा बहस हेतु पेश हुई। उभय पक्षकारान उपस्थित। बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा बहस में अपील के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किये कि अदालत मातहत में उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 251 A RTA के अन्तर्गत 08 अप्रार्थीगण के विरुद्ध खसरा नं. 318, 319, 402, 404, 403, 337, 338, में रास्ते हेतु पेश किया गया था। दिनांक 15/11/22 को अदालत मातहत में दो प्रार्थना पत्र [illegible] (CPC) 01 नियम 10 [illegible] और तहसीलदार [illegible] रिपोर्ट आदेशित किया गया और अप्रार्थी सं. 3, 4, 7 को अभी तलब करने बाबत आदेशित किया। दिनांक 19/1/23 को सारे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिये परन्तु कायल मुकाम	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.02.15 16:45:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील अधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान ......(नहीं लिखा है)...... बनाम ......ओपी की ......

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म
	प्रार्थना पत्र दिनांक 19/01/23 को स्वीकार करने से पूर्व ही अप्रार्थी संख्या 4 के तलबी नोटिस जारी करने के आदेश किये गये थे, जो विधिविरुद्ध है। जबकि अप्रार्थी संख्या 4 फौत ही नहीं हुआ है और अप्रार्थी संख्या 3 जो कि प्रार्थना पत्र दायर से पूर्व ही फौत हो चुका था कि तामील मानकर उनके विरुद्ध ex-party की गई। जो भी विधिविरुद्ध है। दिनांक 23/1/23 को एडवोकेट विनोद अग्रवाल द्वारा "अपीयरेन्स मीमो" पेश किया गया था परन्तु प्रार्थना पत्र 06 R 17 की प्रति जवाब मौका हेतु नहीं दी गई। इसके अतिरिक्त रेस्पो. सं. 3 कमला के पति सत्यनारायण व बेटी गुड्डी बाई को न्यायालय द्वारा पक्षकार बिना बनाये ही, निर्णय पारित कर दिया जो कि विधिविरुद्ध है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 3/2/23 को उस दिन विचाराधीन सभी पत्रावलियों में इकजाई आगामी तारीख पेशी दी गई थी परन्तु केवल इसी पत्रावली में सुनवाई की गई। यह न्यायालय का पक्षपात पूर्ण रवैया दर्शाता है। अदालत मातहत द्वारा दिनांक 3/2/23 को ही एकसाथ [illegible] बिना अप्रार्थीगण को [illegible] कर दिया जो कि विधिविरुद्ध है। क्योंकि आराजीयात पर आवागमन हेतु अन्य खातेदारान की आराजी में से होकर कदीमी रास्ता होते हुये भी सुविधाजनक लघु रास्ता दे दिया जो कि खारिज...	

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.02.15 16:45:57 IST
Reason: SelfAttested

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

उनवान.....................सत्यनारायण वगैरह......................बनाम.........अंशिका राठौड वगै0......................

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	........योग्य है। इसके अतिरिक्त अपीलांट की खातेदारी आराजी मे 50 अमरूद के पेड खडे है उनके मुआवजे बावत् कोई आदेश पारित नही किया गया। प्रार्थना पत्र धारा 96 सी0पी0सी0 पर अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना की गई की अपीलांट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें। अधिवक्ता केवियटर द्वारा जवाब बहस बावत् अन्तिरम अस्थाई स्थगन पर कथन किए कि अधिवक्ता अपीलांट के द्वारा 23.01.23 के बाद अप्रार्थीगण की ओर से उपस्थित ही नही हुए। सभी पक्षकारान की विधिवत् तामील होने के बाद ही अदालत मातहत द्वारा सही रूप से एक्स–पार्टी की गई है। आगे कथन किये गये कि खसरा नंबर 403 यू.आई.टी सवाई माधोपुर का है और 402 खसरा नंबर रकबा 1.18 है0 में से अपीलांट का केवल 0.75 है0 ही है। इसमें भी केवल 50 वर्ग मीटर को ही रास्ते के रूप मे लिया जा रहा है जबकि यू.आई.टी. के खसरा नंबर 403 रकबा 0.10 है0 यू.आई.टी. का है उसमें से रास्ता लिया जाना है। जमाबंदी संवत् 2076–2079 वाके ग्राम शेरपुर के खाता संख्या 252 मे खसरा नंबर 403 नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। पत्रावली के सरपंच ग्राम पंचायत शेरपुर की रिपोर्ट का कोई वैधानिक अस्तित्व नही है। अमरूदो की बाग की कोई खसरा गिरदावरी उपलब्ध नही है प्रथम दृष्टया अपीलांट का प्रकरण नही बनना पाया जाता है। खण्डन जवाब बहस में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा "मीमो ऑफ अपीयरेंस" के बावजूद भी जवाब बहस हेतू मौका नही दिया जाना बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये ही निर्णय पारित किया जाना एवं मौके पर अपीलांट के अमरूदो के बाग होने के कारण प्रथम दृष्टया अपीलांट के पक्ष में होने से और पीठासीन अधिकारी अदालत मातहत के पास सचिव नगर विकास न्यास का प्रभार होने से उनके द्वारा सुनवाई क्षेत्राधिकार नही होने के बावजूद भी सुनवाई किये जाने से यह आदेश अवैध आदेशो की श्रेणी में आता है अतः अपीलांट के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुये अदालत मातहत के आलौच्य आदेश को या तो निरस्त किया जावे या तो स्थगित किया जावे। बहस पर मनन किया गया, रिकार्ड का अवलोकन किया गया। गुणावगुण पर निर्णय से पूर्व इस बिंदु पर निर्णय किया जाना न्यायोचित है कि **"आया पीठासीन अधिकारी अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर के पास सचिव नगर विकास न्यास सवाई माधोपुर के पद का चार्ज है और आया क्या वह नगर विकास न्यास की भूमि विवादित आराजीयात खसरा नंबर 403 पर निर्णय पारित करने मे सक्षम है ?** कार्यालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक प.1(16)4 /राज0/विविध/पदस्था0/2021 5699 दिनांक 18.10.22 द्वारा श्री कपिल शर्मा उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को सचिव नगर विकास न्यास के चार्ज बावत! आदेशित किया गया है। आदेश की प्रति अधिवक्ता अपीलांट द्वारा पेश की गई जो शामिल मिसल रहे। स्वयं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट द्वारा नगर विकास न्यास के आराली खसरा नंबर 403 का भी विवादित आराजीयात [illegible] भी इसका अंकन है। प्राकृतिक न्याय का यह सिद्धान्त है [illegible] अपने ही विषय–वस्तु पर न्यायधीश नही हो सकता है। प्रस्तुत प्र[illegible] में [illegible]

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.02.15 16:45:57 IST
Reason: SelfAttested

.....आराजीयात खसरा नंबर 403 नगर विकास न्यास की भूमि है और पीठासीन अधिकारी के पास सचिव नगर विकास न्यास का पदभार है। पीठासीन अधिकारी को इस प्रकरण को सुनवाई हेतु ग्रहण ही नही करना चाहिए था और यदि ग्रहण कर भी लिया था तो सक्षम अधिकारी की अनुमति से पत्रावली को सुनवाई हेतु अन्य सक्षम राजस्व अदालत मे हस्तांतरित करवाई जाने चाहिए थी।

" namo judex in causa sua" (none is judge in his own case)

निर्णयों को किया ही नही जाना चाहिए, अपितु दिखता हुआ भी होना चाहिए।

यही दृष्टांत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा "state of UP and other v/s R. S. gupta, HJS special judge व Ashok pande v/a supreme court of india अपील संख्या 147/2018 में सिद्वान्त प्रतिपादित किया गया है।

अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर namo judex in causa sua के सिद्वान्त के आधार पर अदालत मातहत का निर्णय प्रकरण संख्या 48/2022 निर्णय दिनांक 07.02.2023 विधि विपरीत होने के कारण आरम्भ से ही शून्य घोषित किया जाता है। अतः बिना गुणावगुण विवेचना के ही खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अदालत मातहत उपखण्ड अधिकारी सवाई माधोपुर को हेतु प्रेषित हो। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाकर दाखिल दफ्तर किया जावें।

आदेश आज दिनांक 14.02.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/2/23

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Hari Ram Meena
Date: 2023.02.15 16:45:57 IST
Reason: SelfAttested